छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
महानदी भवन–नया रायपुर

क्रमांक / एफ 6–31 / 11 / मंत्रावि / 13–14 / 50 रायपुर, दिनांक 11 / 09 / 2013

प्रति,

प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय नया रायपुर

विषयः– यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के प्रशिक्षण, पुर्नवास तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजना / सहायता कार्यक्रम पर अभिमत / सहमति प्रेषित करने विषयक ।

संदर्भ :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका कमांक 135 / 2010 तथा इस संबंध में आहूत बैठक दिनांक 30 अगस्त 2013 ।

यौन व्यापार में संलिप्त / यौन उत्पीडित महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 135 / 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। परित आदेशों के अनुकम में फिमेल सेक्स वर्करों की आवश्यकता की पूर्ति तथा उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही / योजना संचालन का प्रस्ताव है। इन्हें यौन व्यापार से बाहर लाने तथा समाज में सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करने हेतु अन्य विभागों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य योजना पर दिनांक 30 अगस्त 2013 को बैठक आयोजित कर प्रारंभिक चर्चा की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

प्रस्तावित योजना / कार्यकम में आपके विभाग से निम्न बिन्दुओं पर अभिमत / सहमति / निर्देश प्रसारित किये जाने का अनुरोध है।

1. गरीबी रेखा के अंतर्गत सम्मिलित परिवार को जिन योजनाओं / सुविधाओं / सहायता की पात्रता है उन सभी योजनाओं / सुविधाओं का लाभ सेक्स वर्कर को भी दिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक परिक्षण करते सहमति अथवा असहमति की दशा में वैकल्पिक रूप से दी जाने वाली सुविधा / सहायता का विवरण।
2. यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि गरीबी व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस कार्य में सलिप्त है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशन की मांग की गई है। वर्तमान में चिन्हांकित 10094 तथा संभावित 10 हजार महिलाओं को मिलाकर लगभग 20 हजार महिलाओं को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ दिया जाना होगा। कृपया इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया एवं सहमति ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर सहमति / निर्देश / प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध है ।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पत्र क्रमांक 8621 T.L.
सचिव/खाद्य/2013
दिनांक 16.09.13 2013

1309/13

यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के प्रशिक्षण, पुर्नवास तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजना पर आहूत बैठक दिनॉक 30 अगस्त 2013 का कार्यवाही विवरण ।

यौन व्यापार में संलिप्त/यौन उत्पीडित महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 135/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग तिथियों में आदेश पारित किये गये है। परित आदेशों के कियान्वयन हेतु योजना तैयार करने की आवश्यकता तथा उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास हेतु अन्य विभागों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य योजना पर श्री सुब्रत साहू, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय के कक्ष कमांक एस 2- 12 में बैठक आहूत हुई। उपस्थित प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ट- 01 पर है।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अवगत कराया गया।

"The word "life" in Article 21 of the Constitution of India has been interpreted in several decisions of this Court to mean a right to "life with dignity". It is only if a sex worker is able to earn a livelihood through technical skill rather than by selling her body that she can live with dignity, and that is why we have requested all the States and the Union of India to submit schemes for giving technical training to these sex workers

(1) Prevention of trafficking,
(2) Rehabilitation of sex workers who Wish to leave sex work, and
(3) Conditions conducive for sex workers who wish to continue working as sex? Workers with dignity.

परित आदेशो के कियान्वयन तथा प्रस्तावित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. राज्य में यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं का चिन्हांकन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी की सहायता से 13 जिलों का सर्वेक्षण कराया गया। जिलेवार आंकड़े परिशिष्ट-02 पर है। शेष जिलों में चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।

2. सर्वेक्षित/चिन्हांकित महिलाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई व उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

3. कार्य योजना के कियान्वयन में इन महिलाओं की जानकारी व परिचय गुप्त रखते हुए इन्हें सामान्य हितग्राहियों की तरह लाभ दिया जायेगा। इनके पहचान के लिए कोड कमांक होगा । आवश्यकता की दशा में योजना संचालन हेतु जिले/ क्षेत्र में नियुक्त समन्वयक द्वारा विभागों से संपर्क कर महिलाओं को लाभ दिलाया जायेगा। सभी विभाग प्रस्तावित बिन्दु पर सहमति प्रदान करने के पूर्व इनकी गोपनीयता व पहचान छिपाये रखने हेतु कोई कठिनाई हो तो तद्नुसार योजना में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करे।

4. चिन्हांकित जिलों/क्षेत्रो में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समन्वयक, परामर्शदाता एवं सहयोगियों की सेवायें ली जायेगी। यह कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संपादित कराया जायेगा।

5. महिला यौन कर्मी जो इस व्यवसाय से बाहर आना चाहती है उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास के लिए

5.1 गरीबी रेखा के अंतर्गत सम्मिलित परिवार को जिन योजनाओं/सुविधाओं /सहायता की पात्रता है उन सभी योजनाओं/सुविधाओं का लाभ सेक्स वर्कर को भी दिया जायेगा। इस संबंध में सभी विभाग आवश्यक परिक्षण करते हुए इस बिन्दु पर अपनी सहमति प्रेषित करेंगे। असहमति की दशा में वैकल्पिक रूप से दी जाने वाली सुविधा/सहायता का विवरण प्रेषित करेंगे।

5.2 सेक्स वर्कर तथा बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30 हजार रूपये की सीमा कम है ऐसी महिलाओं को निरंतर इलाज की आवश्यकता होती है अतः निःशुल्क इलाज के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश/सहमति से अवगत करायेंगे।

5.3 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि गरीबी व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस कार्य में सलिप्त है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशन की मांग की गई है। चिन्हांकित 10094 तथा संभावित 10 हजार महिलाओं को मिलाकर लगभग 20 हजार महिलाओं को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ दिया जाना होगा। खाद्य विभाग प्रकिया एवं साहमति से अवगत करायेंगे।

5.4 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि इनके बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र जारी नही किये जाते है फलस्वरूप कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित निर्देश प्रसारित किया जाना होगा।

5.5 शाला प्रवेश में इन महिलाओं के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। अभिभावक/पिता के नाम की अनिवार्यता न रखते हुए प्रवेश की समस्त कार्यवाही किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर समुचित निर्देश प्रसारित किया जाना होगा।

5.6 गरीबी व अशिक्षा के कारण इन महिलाओं के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इनसे हुई चर्चा अनुसार इनके स्कूलों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति, हास्टल सुविधा एवं शिक्षा के सभी अवसरों में समान भागीदारी की सुविधा दिया जाना है। स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस बिन्दु पर विस्तृत कार्ययोजना की अपेक्षा है।

5.7 इन महिलाओं से हुई चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि आवास न होने के कारण इन्हें सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शासन की आवासीय योजनाओं में यौन व्यापार में संलिप्त महिलओं को न्यूनतम दर पर आवास सुविधा प्रदान करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग/नगरीय निकाय विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग से समुचित निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा है।

5.8 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण अथवा अनुदान योजनाओं में इन्हें प्राथमिकता दी जाये। इस संबंध में सभी विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाये का विवरण व प्रकिया जिसके तहत इन महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। सभी विभागों से ऐसी योजनाओं की जानकारी, प्रकिया तथा आवश्यकतानुसार संशोधित मार्गदर्शी निर्देश प्राप्त किया जाना होगा।

5.9 यौन व्यापार में संलिप्त विधवा/परितक्ता /एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा पेंशन के रूप में पर्याप्त राशि दिये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग से योजना प्रावधान में आवश्यक संशोधन की अपेक्षा है।

5.10 चिन्हांकित क्षेत्र जहां यौन व्यापार में संलिप्त महिलायें निवास करती है उन क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए झूलाघर व रात्रिकालीन आश्रय गृह संचालित करने हेतु नगरीय प्रशासन विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करना होगा। इस संबंध में सहमति व आवश्यक अनुदान राशि का विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा हैं।

5.11 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं को यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है/कानूनी कार्यवाही की जाती है तो घटनाक्रम एवं परिस्थितियों का आंकलन करते हुए प्रकरणों का संवेदनशीलतापूर्वक निपटारा किया जाये। यथासम्भव जमानत/मूचलके पर रिहा करने में मदद करने का प्रयास किया जावे। इन महिलाओं को निकटस्थ उज्जवला पी एंड आर होम अथवा स्वाधार होम में भेजने की कार्यवाही भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जा सकती है। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पुलिस थानों को निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा है।

5.12 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं की जानकारी किसी भी रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित नही होना चाहिए न ही इन महिलाओं/घटनाक्रम का विपरीत चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए। जनसंपर्क विभाग की ओर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को संवेदनशील बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही/निर्देश प्रसारित किये जाने की अपेक्षा है।

5.13 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका जो यौन व्यापार में संलिप्त पायी जाती है उन बालिकाओं के विरूद्व कोई प्रकरण दर्ज न करते हुए इन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हुए आवश्यक काउसिंलिग कराया जाकर बालिका गृहों में भेजे जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

5.14 सीएसएसडीएम तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी व आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमति तथा फीस एवं अन्य प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाना है।

5.15 इन महिलाओं को जिला समन्वयक आईटीपीए/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुशंसा पर 10 हजार रूपये की ऋण राशि 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जायेगी यदि इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है तो अधिकतम 1 लाख रूपये तक की ऋण राशि समूह को 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। कोष द्वारा योजना प्रावधानो में आवश्यक संशोधन करते हुए मैदानी स्तर पर निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।

5.16 इन महिलाओं को नियमित/प्रौढ़ शिक्षा अथवा शिक्षित करने हेतु आवश्यक योजना तैयार की जायेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की जायेगी। यदि नियमित शिक्षा में भागीदारी रखना है तो दी जानी वाली संभावित सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा है।

सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों से उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग